संख्या–645 / आठ–4–05–175एन(डब्लू) / 2003

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2005

विषयः– नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबधं में जारी शासनादेश में संशोधन / सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2223 / आठ–4–03–152एन / 2000 टीसी दिनांक 6.11.2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 6.11.2003 में निर्देश दिये गये थे कि मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–11363 / 03 विचित्रवीर सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2003 में शासनादेश संख्या–2873 / 9–आ–4–02–152एन / 2000 टीसी दिनांक 10.12.02का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया है। अतः अग्रेतर आदेशों तक उक्त शासनादेश दिनांक 10.12.02 का प्रभाव स्थगित रहेगा। उक्त प्रकरण में रिट याचिका संख्या–4498 / 2004 वजाहत हुसैन खां बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.02.04 में इस आशय की संवीक्षा की गयी है कि रिट याचिका संख्या–11363 / 2003 केवल वादी पर लागू होगी तथा अन्य व्यक्ति यदि शासनादेश दिनांक 10.12.02 के प्राविधान के तहत आवेदन करते हैं तो उनके मामले में फ्री–होल्ड किया जा सकता है।

2– उक्त प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि रिट याचिका संख्या–11363/2003 में पारित स्थगन आदेश केवल रिट याचिका के वादी श्री विचित्रवीर सिंह तथा अन्य के प्रकरण में प्रभावी माना जायेगा, अन्य प्रकरण में नहीं। अतः उक्त याचिका में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.03.03 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–2223/9–आ–4–2003–152/2000 दिनांकित 06.11.03 को अतिक्रमित करते हुए नजूल नीति विषयक शासनादेश संख्या–2873/9–आ–4–2002–152एन/2002, टीसी दिनांक 10.12.02 के प्राविधानों के तहत फ्री–होल्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं डिमाण्ड नोट आदि जारी कर फ्री होल्ड की कार्यवाही की जा सकती है।

3– अतः कृपया नजूल नीति विषयक जारी शासनादेश दिनांक 10.12.02 में उल्लिखित प्राविधानों का विस्तृत प्रचार–प्रसार करते हुए नजूल भूमि फ्री होल्ड किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय
ह0/–
जे.एस.मिश्र
सचिव।